



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 49-2024/Ext.]

CHANDIGARH, THURSDAY, MARCH 21, 2024
(CHAITRA 1, 1946 SAKA)

LEGISLATIVE SUPPLEMENT

CONTENTS

PART-I	ACTS	PAGES
	HARYANA STATE SPORTS ASSOCIATIONS (REGISTRATION AND REGULATION) ACT, 2024. (ACT NO. 8 OF 2024)	43—50
PART-II	ORDINANCES	
	NIL	
PART-III	DELEGATED LEGISLATION	
	NIL	
PART-IV	CORRECTION SLIPS, REPUBLICATIONS AND REPLACEMENTS	
	NIL	

PART-I**HARYANA GOVERNMENT****LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT****Notification**

The 21st March, 2024

No. Leg. 8/2024.— The following Act of the Legislature of the State of Haryana received the assent of the Governor of Haryana on the 15th March, 2024 and is hereby published for general information:-

HARYANA ACT NO. 8 OF 2024**THE HARYANA STATE SPORTS ASSOCIATIONS (REGISTRATION AND REGULATION) ACT, 2024****AN****ACT**

to provide for establishment of Haryana Sports Registration Council and Regional Sports Registration Council for registration and regulation of Sports Associations, to protect interest of sportspersons and sports associations and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Haryana State Sports Associations (Registration and Regulation) Act, 2024. Short title, extent and commencement.
(2) It extends to the whole of the State of Haryana.
(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
2. In the Act, unless the context otherwise requires,- Definitions.
 - (a) “Director” means the Director of the Sports Department, Haryana;
 - (b) “District Level Sports Association” means a sports association at district level duly affiliated to the concerned State Level Sports Association;
 - (c) “District Sports Officer” means the District Sports Officer of the concerned district;
 - (d) “Government” means the Government of the State of Haryana in the administrative department;
 - (e) “Haryana Sports Registration Council” means the Haryana Sports Registration Council established under section 3;
 - (f) “member” means the member of the Haryana Sports Registration Council and the Regional Sports Registration Council and includes the Chairperson and Member-Secretary;
 - (g) “National Federation/National Association” means a registered National Level Sports Body, known as Federation or Association or in any other name, duly recognized by the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India;
 - (h) “prescribed” means prescribed by the rules made under this Act;
 - (i) “region” means a district or districts as the Government may notify for the purposes of this Act;
 - (j) “Regional Sports Registration Council” means the Regional Sports Registration Council established under section 5;
 - (k) “Registrar” means the Registrar of the Haryana Sports Registration Council or the Regional Sports Registration Council, as the case may be;
 - (l) “regulations” means the regulations made under this Act;
 - (m) “State” means the State of Haryana;

- (n) “State Level Sports Association” means a sports association at State Level duly affiliated to the concerned national body, except Haryana Olympic Association;
- (o) “sport” means a game needing physical effort and skill and is played competitively as per rules of the game at National or International Level but does not include Yoga;
- (p) “sports association” means an association or group of persons, by whatever name called for particular sport and shall includes State Level Sports Associations and District Level Sports Associations.

Establishment
and
composition of
Haryana Sports
Registration
Council.

3. (1) The Government shall, by notification in the Official Gazette, establish the Haryana Sports Registration Council consisting of the following members, namely:-

- (a) a person, who is or has been an eminent sportsperson from the State and has represented the State in international sports events or a person who has special knowledge or experience of at least twenty-five years in public administration or law, to be nominated by the Government - Chairperson;
- (b) Director, Sports Department, Haryana – Member-Secretary;
- (c) two persons to be elected from the registered State Level Sports Associations having one vote each:

Provided that the State Level Sports Association once elected shall not be eligible to contest elections for the immediate next term - Members;

- (d) One person who is teacher of law or having practice in law for a period of not less than seven years to be nominated by the Government - Member;
- (e) One person who shall be an eminent sportsperson having represented the State at National Level and participated in not less than three international level sports tournaments, to be nominated by the Government - Member.

(2) The Haryana Sports Registration Council shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract and shall, by the said name sue or be sued.

(3) The procedure for election of members under clause (c) of sub-section (1) shall be such, as may be prescribed.

(4) The Member-Secretary shall be the Registrar for the purposes of registration of the State Level Sports Associations.

(5) The headquarters of the Haryana Sports Registration Council shall be at such place, as may be specified by the Government.

(6) There shall be at least one woman member amongst the persons to be nominated as member under clauses (a), (d) and (e) of sub-section (1).

(7) The procedure for appointment, term of office, resignation, removal and other terms and conditions of the nominated members shall be such, as may be prescribed.

(8) The Government shall provide the Haryana Sports Registration Council such number of officers and other employees, as it considers necessary for the efficient performance of its functions under this Act.

(9) The Haryana Sports Registration Council may engage, in accordance with the procedure specified by regulations, such number of experts and professionals having special knowledge and experience in the area of sports, as it deems necessary to assist it in the discharge of its functions under this Act.

(10) The Haryana Sports Registration Council shall regulate the procedure for transaction of its business and allocation of its business, in such manner, as may be specified by regulations.

(11) The Chairperson of the Haryana Sports Registration Council shall have the powers of general superintendence, direction and control in respect of all administrative matters of the Haryana Sports Registration Council.

(12) All orders and decisions of the Haryana Sports Registration Council shall be authenticated by the Registrar.

4. The Haryana Sports Registration Council shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:-
- Functions and powers of Haryana Sports Registration Council.
- (a) to register the sports association at State level;
 - (b) to regulate matters relating to registration, sports administration and unfair sports practices;
 - (c) to promote, protect and enforce the spirit of sports in the State;
 - (d) to maintain a register of the State Level Sports Associations duly registered under this Act;
 - (e) to inquire or cause an inquiry to be conducted either suo moto or on a complaint received or on the directions of the Government relating to acts of omission or commission alleged against the State Level Sports Associations;
 - (f) to recommend adoption of international covenants and best international practices relating to sports and to ensure effective enforcement of competitive sports;
 - (g) to oversee the functions of the Regional Sports Registration Council;
 - (h) to advise the Government regarding measures to be adopted for promotion of sports and welfare of sportspersons in the State; and
 - (i) any other power or function, as may be prescribed.
5. (1) The Government shall, by notification, establish the Regional Sports Registration Council in each region consisting of the following members, namely:-
- Establishment and composition of Regional Sports Registration Council.
- (a) an officer not below the rank of Divisional Commissioner of the region – Chairperson;
 - (b) Deputy Commissioner of the district in the region by rotation - Member;
 - (c) District Sports Officer of the district, where the office of such Regional Sports Registration Council is situated - Member-Secretary;
 - (d) two persons amongst the State Level Sports Associations, to be nominated by the Government - Members;
 - (e) two persons to be elected from the registered District Level Sports Associations having one vote each:
 Provided that the District Level Sports Association once elected shall not be eligible to contest elections for the immediate next term - Members;
 - (f) two persons who shall be eminent sportspersons of that region having represented the State at national level and participated in international level sports tournaments, to be nominated by the Government - Members.
- (2) The Regional Sports Registration Council shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract and shall, by the said name, sue or be sued.
- (3) The Member-Secretary shall be the Registrar for the purpose of Registration of the District Level Sports Associations.
- (4) The procedure for election of members under clause (e) of sub-section (1) shall be such, as may be prescribed.
- (5) The Regional Sports Registration Council shall regulate the procedure for transaction of its business and allocation of its business, in such manner, as may be specified by regulations.
- (6) The Chairperson of the Regional Sports Registration Council shall have the powers of general superintendence, direction and control in respect of all administrative matters of the Regional Sports Registration Council.
- (7) There shall be at least one woman member amongst the persons to be nominated as member under clauses (d) and (f) of sub-section (1).
- (8) The headquarters of the Regional Sports Registration Council shall be at such place, as may be specified by the Government.
- (9) The procedure for appointment, term of office, resignation, removal and other terms and conditions of the nominated members shall be such, as may be prescribed.

(10) The Government shall provide the Regional Sports Registration Council such number of officers and other employees, as it considers necessary for the efficient performance of its functions under this Act.

(11) The Regional Sports Registration Council may engage, in accordance with the procedure specified by regulations, such number of experts and professionals having special knowledge and experience in the area of sports, as it deems necessary to assist it in the discharge of its functions under this Act.

(12) All orders and decisions of the Haryana Sports Registration Council shall be authenticated by the Registrar.

Functions and powers of Regional Sports Registration Council.

6. The Regional Sports Registration Council shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:-

- (a) to register the sports associations at district level;
- (b) to regulate matters relating to registration, sports administration and unfair sports practices;
- (c) to promote, protect and enforce the spirit of sports in the region;
- (d) to maintain a register of the District Level Sports Associations duly registered under this Act;
- (e) to inquire or cause an inquiry to be conducted either suo moto or on a complaint received or on the directions of the Government or the Haryana Sports Registration Council relating to acts of omission or commission alleged against District Level Sports Associations;
- (f) to recommend adoption of international covenants and best international practices on sports rights to ensure effective enforcement of competitive sports;
- (g) to advise the Government regarding measures to be adopted for welfare of sports in the region; and
- (h) any other power or function, as may be prescribed.

Proceedings not to be invalidated by vacancy.

7. No act or proceedings of the Haryana Sports Registration Council and the Regional Sports Registration Council shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy, absence of member or defect in the constitution of the said councils.

State Level Sports Association.

8. There shall be one registered State Level Sports Association, duly affiliated with the concerned National Federation/Association recognized by the concerned international body for each sport in the State under this Act.

District Level Sports Association.

9. There shall be one registered District Level Sports Association duly affiliated with the concerned State Level Sports Association for each sport in each district of the State under this Act.

Compulsory Registration of State Level Sports Associations.

10. (1) Every State Level Sports Association, subject to affiliation and other requisite conditions shall have to be registered with the Haryana Sports Registration Council under this Act.

(2) Every State Level Sports Association shall apply to the Haryana Sports Registration Council for registration under this Act, in such form, manner, along with such fee and within such period, as may be prescribed.

(3) The terms and conditions for registration under this section shall be such, as may be prescribed.

(4) The registration shall be valid for a period of three years.

(5) Every registered State Level Sports Association shall apply for renewal of registration six months prior to the date of expiry of registration in the same manner as provided under sub-section (2).

(6) In case any registered State Level Sports Association under this Act is disaffiliated by the concerned National body, the registration of the said sports association shall automatically stand cancelled.

- 11.** (1) Every District Level Sports Association, subject to affiliation and other requisite conditions shall have to be registered with the Regional Sports Registration Council under this Act. Compulsory Registration of District Level Sports Associations.
- (2) Every District Level Sports Association shall apply to the Regional Sports Registration Council for registration under this Act, in such form, manner, along with such fee and within such period, as may be prescribed.
- (3) The terms and conditions for registration under this section shall be such, as may be prescribed.
- (4) The registration shall be valid for a period of three years.
- (5) Every registered District Level Sports Association shall apply for renewal of registration six months prior to the date of expiry of registration in the same manner as provided under sub-section (2).
- (6) In case any registered District Level Sports Association under this Act is disaffiliated by the concerned State Level Sports Association, the registration of the said sports association shall automatically stand cancelled.
- 12.** (1) If a sports association is not registered under the provisions of this Act,- Consequences of non-registration.
- (a) no sportsperson registered with such sports association shall be eligible for entitlement of any grant, award either cash or otherwise, job or any other benefit under this Act or under any scheme framed or policy issued from time to time for participating in any sports tournament/event;
- (b) such sports association shall not utilize the infrastructure and manpower provided by the Government.
- (2) If the registration of any sports association has been cancelled under this Act, -
- (a) no sportsperson registered with such sports association shall be eligible for entitlement of any grant, award either cash or otherwise, job or any other benefit under this Act or under any scheme framed or policy issued from time to time for participating in any sports tournament/event from the date of such cancellation;
- (b) such sports association shall not utilize the infrastructure and manpower provided by the Government.
- 13.** The State Level Sports Association or a District Level Sport Association, as the case may be, registered under this Act shall be entitled to have as a pre-fix 'Haryana' or the name of the district and the sportsperson representing such sports association may call themselves as players of 'Haryana' or of such district. Consequences of registration.
- 14.** (1) Every District Level Sports Association registered under this Act shall have the right to participate in the sports activities conducted by the concerned State Level Sports Association registered under this Act. Right to participate.
- (2) Every State Level Sports Association registered under this Act shall have the right to participate in the sports activities conducted by the concerned National body subject to such terms and conditions as prescribed by the National body.
- 15.** (1) Every State Level Sports Association registered under this Act shall,- Obligations of the State Level Sports Association.
- (a) conduct at least one Inter-District State Level Sports Championship, for the seniors and juniors category every year;
- (b) send its players and teams to participate at the National Level;
- (c) arrange to give such prizes, scholarships, medals and other such facilities, as to encourage the sportspersons;
- (d) arrange to provide training and coaching facilities for the players with the Haryana Sports Registration Council;
- (e) maintain such records, as may be prescribed;
- (f) give information to the Haryana Sports Registration Council thirty days prior about the sports trials and tournaments/events to be conducted and within thirty days subsequently, results of such trials and tournaments/events including the names and number of participating teams, the names of players in each team, the results thereof;

- (g) upload the information under clause (f) on its website;
- (h) constitute grievance redressal mechanism to redress grievance of sportspersons, in such manner, as may be prescribed.

(2) If the Haryana Sports Registration Council is of the opinion that the State Level Sports Association has failed to comply with any of the obligations under sub-section (1), it may, after giving a reasonable opportunity of hearing, impose a fine which shall not be less than five lakhs rupees but which may extend to ten lakhs rupees or cancel the registration for reasons to be recorded in writing.

Obligations of the District Level Sports Association.

- 16.** (1) Every District Level Sports Association registered under this Act shall,-
- (a) conduct at least one District Level Sports Championship for senior and junior category every year;
 - (b) send its players and teams to participate at the State Level;
 - (c) arrange to give such prizes, scholarships, medals and other such facilities, as to encourage the sportspersons;
 - (d) arrange to provide training and coaching facilities for the players;
 - (e) maintain such records, as may be prescribed;
 - (f) give information to the Regional Sports Registration Council thirty days prior about the sports trials and tournaments/events to be conducted and within thirty days subsequently, results of such trials and tournaments/events including the names and number of participating teams, the names of players in each team, the results thereof;
 - (g) upload the information under clause (f) on its website;
 - (h) constitute grievance redressal mechanism to redress grievance of sportspersons, in such manner, as may be prescribed.

(2) If the Regional Sports Registration Council is of the opinion that the District Level Sports Association has failed to comply with any of the obligations under sub-section (1), it may, after giving a reasonable opportunity of hearing, impose a fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to one lakh rupees or cancel the registration for reasons to be recorded in writing.

Observer.

17. (1) The Haryana Sports Registration Council may depute an observer who shall be present during such sports trials and tournament/event to be organized by State Level Sports Associations.

(2) The Regional Sports Registration Council may depute an observer who shall be present during such sports trials and tournament/event to be organized by District Level Sports Associations.

(3) The State Level Sports Association or the District Level Sports Association, as the case may be, shall provide the observer a detailed information of the daily sports trials and tournament/event including the number of participating team, the name of players in each team, the result of the sports trials and tournament/event etc.

(4) The observer shall submit its report to the Haryana Sports Registration Council or the Regional Sports Registration Council, as the case may be, as soon as possible but not later than seven days from the date of conclusion of the sports trials and tournament/event.

Cancellation of registration.

18. (1) The Haryana Sports Registration Council or the Regional Sports Registration Council, as the case may be, may, either on its own motion or on a complaint against any sports associations or on the direction of the Government, inquire into such complaint and pass an appropriate order for cancellation of the registration or removal of office bearers of such sports association:

Provided that no order shall be passed without giving an opportunity of hearing to the parties:

Provided further that in case of cancellation of registration of any sports association, the Haryana Sports Registration Council or the Regional Sports Registration Council, as the case may be, shall specify the date from which the effect of such cancellation shall come into effect.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the Haryana Sports Registration Council or the Regional Sports Registration Council, as the case may be, may,-

- (a) appoint an ad-hoc committee to run the affairs of the concerned sports association;
- (b) appoint auditors to carry out such audits, as may be deemed necessary;
- (c) initiate prosecution against the concerned sports association;
- (d) pass such other order, as it may deem fit.

19. (1) Any person aggrieved by any order passed by the Regional Sports Registration Council may file an appeal before the Haryana Sports Registration Council within a period of thirty days from the date of receipt of such order in such form and manner along with such fee, as may be prescribed: Appeal.

Provided that the appeal may be entertained after the aforesaid period if the Haryana Sports Registration Council is satisfied that the appellant had sufficient reason for the delay.

(2) Any person aggrieved by any order passed by the Haryana Sports Registration Council may file an appeal before the Government within a period of thirty days from the date of receipt of such order in such form and manner along with such fee, as may be prescribed:

Provided that the appeal may be entertained after the aforesaid period if the Government satisfied that the appellant had sufficient reason for the delay.

(3) The appeal filed under sub-section (1) or sub-section (2) shall be disposed of as expeditiously as possible and preferably within a period of ninety days from the date of filing of the appeal:

Provided that where any such appeal could not be disposed of within the said period of ninety days, the appeal shall be decided within a further period of sixty days for reasons to be recorded in writing for not disposing of the application or appeal within that period.

(4) The decision of the Government shall be final.

20. (1) No sports association shall use the name "Haryana" or the name of any district, or conduct any sports trials and tournament/event after the cancellation of its registration under this Act. Prohibition to represent or to use "Haryana" and name of district.

(2) No person or group of persons, either individually or collectively shall represent or be allowed to represent the State or any district, in any sports trials and tournament/event without being authorized by the registered State Level Sports Association or the District Level Sports Association, as the case may be.

(3) No sports association shall be entitled to use the description "Haryana" or use the name of a district as part of its name or undertake any sports trials and tournament/event which results in representing the State or a district, as an affiliated unit of any National Federation, Board, or Association purporting to represent India, or in any other manner whatsoever, unless such sports association is registered as a State Level Sports Association or a District Level Sports Association, as the case may be.

21. (1) Whoever contravenes the provisions of this Act or the rules made thereunder shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend upto six months or with a fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to one lakh rupees or with both. Contravention and penalties.

(2) If the contravention under sub-section (1) is by a sports association, then all the office bearers of such sports association, shall be liable jointly and severally for the said offence.

22. No court shall take cognizance of any offence under this Act, except upon a complaint made in writing by the concerned Registrar or any other officer authorized by the Government. Cognizance of offences.

23. (1) The Haryana Sports Registration Council and the Regional Sports Registration Council shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form and manner, as may be prescribed. Accounts and audit.

(2) Every sports association shall keep proper books of accounts i.e. cash book, ledger etc. with respect to,-

- (i) all sums of money received and expended; and
- (ii) the assets and liabilities.

(3) The Registrar or any officer authorized by them or any officer authorized by the Government may inspect the books of accounts.

(4) Every sports association shall get its annual accounts audited from an auditor who is a member of the Institute of Chartered Accountants of India, constituted under the Chartered Accountants Act, 1949 (Central Act 38 of 1949):

Provided that the auditor shall not be a member of the Executive Body or family member of any of the office bearer.

Protection of
action taken in
good faith.

24. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything, which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or rules or regulations made thereunder.

Act not to be in
derogation of
any other law.

25. The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.

Bar of
jurisdiction.

26. No suit or other legal proceedings shall lie in any civil court, in respect of any dispute, question or other matter which is required by or under this Act to be determined by the Government, the Haryana Sports Registration Council and the Regional Sports Registration Council.

Power to give
directions.

27. The Government may, from time to time, give such directions, in writing, as may be necessary, to the Haryana Sports Registration Council or the Regional Sports Registration Council for the effective implementation of the provisions of this Act and the rules made thereunder.

Power to make
regulations.

28. Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Haryana Sports Registration Council and the Regional Sports Registration Council shall make regulations for carrying out the purposes of this Act with the approval of the Government.

Power to make
rules.

29. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall, as soon as possible, after it is made, be laid before the State Legislature.

Power to
remove
difficulties.

30. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature.

RITU GARG,
ADMINISTRATIVE SECRETARY TO GOVERNMENT, HARYANA,
LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 73-2024/Ext.]

चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 15 मई, 2024
(25 वैशाख, 1946 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	1. हरियाणा राज्य खेल संघ (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2024 (2024 का हरियाणा अधिनियम संख्या 8)	71-79
	2. हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, 2024 (2024 का हरियाणा अधिनियम संख्या 11) (केवल हिन्दी में)	81
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	कुछ नहीं	
भाग IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं	

भाग-I**हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 मई, 2024

संख्या लैज. 8/2024.- दि हरियाणा स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन (रजिस्ट्रेशन ऐण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 2024 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 08 मई, 2024 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:-

2024 का हरियाणा अधिनियम संख्या 8**हरियाणा राज्य खेल संघ (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2024**

खिलाड़ियों और खेल संघों के हितों की रक्षा करने हेतु खेल

संघों के पंजीकरण और विनियमन के लिए हरियाणा खेल

पंजीकरण परिषद् और क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद्

की स्थापना के लिए और उससे सम्बन्धित या

उसके आनुषंगिक मामलों

के लिए उपबन्ध

करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा राज्य खेल संघ (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में होगा।
- (3) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- परिभाषाएँ।
 - (क) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक, खेल विभाग, हरियाणा;
 - (ख) "जिला स्तरीय खेल संघ" से अभिप्राय है, संबंधित राज्य स्तरीय खेल संघ से सम्यक् रूप से सम्बद्ध जिला स्तर पर कोई खेल संघ;
 - (ग) "जिला खेल अधिकारी" से अभिप्राय है, सम्बन्धित जिले का जिला खेल अधिकारी;
 - (घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
 - (ङ) "हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद्" से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन स्थापित हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद्;
 - (च) "सदस्य" से अभिप्राय है, हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् तथा क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद् का सदस्य और इसमें अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिव भी शामिल हैं;
 - (छ) "राष्ट्रीय महासंघ/राष्ट्रीय संघ" से अभिप्राय है, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मन्त्रालय से सम्यक् रूप से मान्यताप्राप्त महासंघ या संघ या किसी अन्य नाम से ज्ञात कोई पंजीकृत राष्ट्रीय स्तरीय खेल निकाय;
 - (ज) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
 - (झ) "क्षेत्र" से अभिप्राय है, कोई जिला या जिले, जिन्हें राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करे;
 - (ञ) "क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद्" से अभिप्राय है, धारा 5 के अधीन स्थापित क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद्;

- (ट) "रजिस्ट्रार" से अभिप्राय है, हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् या क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, का रजिस्ट्रार;
- (ठ) "विनियमों" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम;
- (ड) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य;
- (ढ) "राज्य स्तरीय खेल संघ" से अभिप्राय है, हरियाणा ओलंपिक संघ को छोड़कर, सम्बन्धित राष्ट्रीय निकाय से सम्यक् रूप से सम्बद्ध राज्य स्तर पर कोई खेल संघ;
- (ण) "खेल" से अभिप्राय है, ऐसा खेल, जिसमें शारीरिक श्रम और कौशल की आवश्यकता है और जो राष्ट्रीय या अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर खेल नियमों के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक रूप से खेला जाता है किन्तु इसमें योग शामिल नहीं है;
- (त) "खेल संघ" से अभिप्राय है, किसी विशिष्ट खेल के लिए किसी भी नाम से ज्ञात कोई संघ या व्यक्तियों का समूह और इसमें राज्य स्तरीय खेल संघ और जिला स्तरीय खेल संघ भी शामिल होंगे।

हरियाणा खेल
पंजीकरण
परिषद् की
स्थापना तथा
संरचना।

3. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् की स्थापना करेगी, अर्थात्:-

- (क) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला कोई व्यक्ति, जो राज्य से एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी है या रहा है और जिसने अन्तरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में राज्य का प्रतिनिधित्व किया है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास लोक प्रशासन या विधि में कम से कम पच्चीस वर्ष का विशेष ज्ञान या अनुभव है— अध्यक्ष;
- (ख) निदेशक, खेल विभाग, हरियाणा— सदस्य—सचिव;
- (ग) एक मत (वोट) रखने वाले प्रत्येक पंजीकृत राज्य स्तरीय खेल संघों से चुने जाने वाले दो व्यक्ति:
परन्तु राज्य स्तरीय खेल संघ एक बार निर्वाचित होने के बाद ठीक आगामी अवधि के लिए चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा— सदस्य;
- (घ) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति, जो विधि अध्यापक है या जिसने कम से कम सात वर्ष की अवधि के लिए विधि व्यवसाय किया है— सदस्य;
- (ङ) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति, जो राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला और कम से कम तीन अन्तरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाला एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी होगा — सदस्य।

(2) हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् दोनों चल तथा अचल सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और निपटान करने तथा संविदा करने की शक्ति सहित शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मोहर वाली पूर्वोक्त नाम से निगमित निकाय होगा तथा वह उक्त नाम से वाद चला सकेगी तथा उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा।

(3) उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाए।

(4) सदस्य—सचिव, राज्य स्तरीय खेल संघों के पंजीकरण के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रार होगा।

(5) हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(6) उप-धारा (1) के खण्ड (क), (घ) तथा (ङ) के अधीन सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों में से कम से कम एक महिला सदस्य होगी।

(7) नामनिर्दिष्ट सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया, पदावधि, त्यागपत्र, हटाया जाना तथा अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

(8) सरकार, हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् को उतनी संख्या में अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने यह इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(9) हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद्, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार खेलों के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले उतनी संख्या में विशेषज्ञों और पेशवरों को नियोजित कर सकती है, जितनी वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनी सहायता के लिए आवश्यक समझे।

- (10) हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् ऐसी रीति, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, में इसके कारबार के संव्यवहार और इसके कारबार के आबंटन के लिए प्रक्रिया विनियमित करेगी।
- (11) अध्यक्ष, हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् को हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् के सभी प्रशासनिक मामलों के संबंध में सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां होंगी।
- (12) हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् के सभी आदेश और निर्णय रजिस्ट्रार द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

4. हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी और निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात्:-

हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् के कृत्य और शक्तियां।

- (क) राज्य स्तर पर खेल संघों को पंजीकृत करना;
- (ख) पंजीकरण, खेल प्रशासन और अनुचित खेल प्रथाओं से संबंधित मामलों को विनियमित करना;
- (ग) राज्य में खेल भावना को प्रोन्नत करना, संरक्षित करना और लागू करना;
- (घ) इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से पंजीकृत राज्य स्तरीय खेल संघों का एक रजिस्टर बनाए रखना;
- (ङ) या तो स्वप्रेरणा से या प्राप्त शिकायत पर या सरकार के निर्देशों पर राज्य स्तरीय खेल संघों के विरुद्ध अभिकथित भूल या चूक के कार्यों के संबंध में जांच करना या जांच करवाना;
- (च) खेलों से सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रीय पारस्परिक अनुबन्धों और सर्वोत्तम अन्तरराष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाने की सिफारिश करना और प्रतिस्पर्धी खेलों के प्रभावी लागूकरण को सुनिश्चित करना;
- (छ) क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद् के कृत्यों का पर्यवेक्षण करना;
- (ज) राज्य में खेलों को प्रोन्नत करने और खिलाड़ियों के कल्याण के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के संबंध में सरकार को सलाह देना; और
- (झ) कोई अन्य शक्ति या कृत्य, जो विहित किए जाएं।

5. (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक क्षेत्र में निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद् की स्थापना करेगी अर्थात्:-

क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद् की स्थापना और संरचना।

- (क) कोई अधिकारी, जो क्षेत्र के मण्डल आयुक्त की पदवी से नीचे का न हो— अध्यक्ष;
- (ख) चक्रानुक्रम से क्षेत्र में जिले का उपायुक्त— सदस्य;
- (ग) जिले का जिला खेल अधिकारी, जहां ऐसी क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद् का कार्यालय स्थित है — सदस्य—सचिव;
- (घ) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले राज्य स्तरीय खेल संघों में से दो व्यक्ति— सदस्य;
- (ङ) एक मत (वोट) रखने वाले प्रत्येक पंजीकृत जिला स्तरीय खेल संघों से चुने जाने वाले दो व्यक्ति:

परन्तु जिला स्तरीय खेल संघ एक बार निर्वाचित होने के बाद ठीक आगामी अवधि के लिए चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा — सदस्य;

- (च) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले और अन्तरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले दो व्यक्ति, जो उस क्षेत्र के प्रतिष्ठित खिलाड़ी होंगे— सदस्य।

(2) क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद् दोनों चल तथा अचल सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और निपटान करने तथा संविदा करने की शक्ति सहित शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मोहर वाली पूर्वोक्त नाम से निगमित निकाय होगा और वह उक्त नाम से वाद चला सकेगी तथा उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा।

- (3) सदस्य-सचिव, जिला स्तरीय खेल संघों के पंजीकरण के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रार होगा।
- (4) उपधारा (1) के खण्ड (ड) के अधीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाए।
- (5) क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद् ऐसी रीति, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, में इसके कारबार के संव्यवहार और इसके कारबार के आबंटन के सम्बन्ध में प्रक्रिया विनियमित करेगी।
- (6) अध्यक्ष, क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद् को क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद् के सभी प्रशासनिक मामलों के संबंध में सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां होंगी।
- (7) उप-धारा (1) के खण्ड (घ) तथा (च) के अधीन सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों में से एक महिला सदस्य होगी।
- (8) क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद् का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (9) नामनिर्दिष्ट सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया, पदावधि, त्यागपत्र, हटाया जाना और अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।
- (10) सरकार, क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद् को उतनी संख्या में अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने यह इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।
- (11) क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद् विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार खेल के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले उतनी संख्या में विशेषज्ञों और पेशेवरों को नियोजित कर सकती है जो यह इस अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों का निर्वहन करने में इसकी सहायता के लिए आवश्यक समझे।
- (12) हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् के सभी आदेश और निर्णय रजिस्ट्रार द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद् के कृत्य और शक्तियां।

6. क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी और निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात्:-
 - (क) जिला स्तर पर खेल संघों को पंजीकृत करना;
 - (ख) पंजीकरण, खेल प्रशासन और अनुचित खेल प्रथाओं से संबंधित मामलों को विनियमित करना;
 - (ग) क्षेत्र में खेल भावना को प्रोन्नत करना, संरक्षित करना और लागू करना;
 - (घ) इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से पंजीकृत जिला स्तरीय खेल संघों का एक रजिस्टर बनाए रखना;
 - (ङ) या तो स्वप्रेरणा से या प्राप्त शिकायत पर या सरकार या हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् के निर्देशों पर जिला स्तरीय खेल संघों के विरुद्ध कथित भूल या चूक के कार्यों के संबंध में जाँच करना या जाँच करवाना;
 - (च) प्रतिस्पर्धी खेलों के प्रभावी लागूकरण को सुनिश्चित करने के लिए खेल अधिकारों के सम्बन्ध में अन्तरराष्ट्रीय पारस्परिक अनुबन्धों और सर्वोत्तम अन्तरराष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाने की सिफारिश;
 - (छ) क्षेत्र में खेलों के कल्याण के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के संबंध में सरकार को सलाह देना; और
 - (ज) कोई अन्य शक्ति या कृत्य, जो विहित किए जाएं।

रिक्तियों के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

7. हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् और क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाहियां, मात्र उपरोक्त परिषदों में किसी रिक्ति, सदस्य की अनुपस्थिति या इनके गठन में त्रुटि होने के आधार पर अविधिमान्य नहीं होंगी।

राज्य स्तरीय खेल संघ।

8. इस अधिनियम के अधीन राज्य में प्रत्येक खेल के लिए एक पंजीकृत राज्य स्तरीय खेल संघ होगा, जो सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रीय निकाय से मान्यताप्राप्त सम्बन्धित राष्ट्रीय महासंघ/संघ से सम्यक् रूप से सम्बद्ध होगा।

जिला स्तरीय खेल संघ।

9. इस अधिनियम के अधीन राज्य के प्रत्येक जिले में प्रत्येक खेल के लिए एक पंजीकृत जिला स्तरीय खेल संघ होगा, जो सम्बन्धित राज्य स्तरीय खेल संघ से सम्यक् रूप से सम्बद्ध होगा।

10. (1) प्रत्येक राज्य स्तरीय खेल संघ, को सम्बद्धता और अन्य आवश्यक शर्तों के अधीन, इस अधिनियम के अधीन हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् से पंजीकरण करवाना होगा। राज्य स्तरीय खेल संघों का अनिवार्य पंजीकरण।
- (2) प्रत्येक राज्य स्तरीय खेल संघ, ऐसे प्ररूप, रीति में, ऐसी फीस के साथ और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाएं, इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण के लिए हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् को आवेदन करेगा।
- (3) इस धारा के अधीन पंजीकरण के लिए निबन्धन और शर्तें, ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।
- (4) पंजीकरण तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
- (5) प्रत्येक पंजीकृत राज्य स्तरीय खेल संघ उप-धारा (2) में यथा उपबन्धित समरूप रीति में पंजीकरण की समाप्ति की तिथि से छह मास पूर्व पंजीकरण का नवीकरण करवाने के लिए आवेदन करेगा।
- (6) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई पंजीकृत राज्य स्तरीय खेल संघ, सम्बन्धित राष्ट्रीय निकाय से असम्बद्ध हो जाता है, तो उक्त खेल संघ का पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगा।
11. (1) प्रत्येक जिला स्तरीय खेल संघ, को सम्बद्धता और अन्य आवश्यक शर्तों के अधीन, इस अधिनियम के अधीन क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद् से पंजीकरण करवाना होगा। जिला स्तरीय खेल संघ का अनिवार्य पंजीकरण।
- (2) प्रत्येक जिला स्तरीय खेल संघ, ऐसे प्ररूप, रीति में, ऐसी फीस के साथ और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाएं, इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण के लिए क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद् को आवेदन करेगा।
- (3) इस धारा के अधीन पंजीकरण के लिए निबन्धन और शर्तें, ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।
- (4) पंजीकरण तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
- (5) प्रत्येक पंजीकृत जिला स्तरीय खेल संघ उप-धारा (2) में यथा उपबन्धित समरूप रीति में पंजीकरण की समाप्ति की तिथि से छह मास पूर्व पंजीकरण का नवीकरण करवाने के लिए आवेदन करेगा।
- (6) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई पंजीकृत जिला स्तरीय खेल संघ, सम्बन्धित राज्य स्तरीय खेल संघ से असम्बद्ध हो जाता है, तो उक्त खेल संघ का पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगा।
12. (1) यदि कोई खेल संघ इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पंजीकृत नहीं है तो,— गैर-पंजीकरण के परिणाम।
- (क) ऐसे खेल संघ से पंजीकृत कोई खिलाड़ी, किसी भी खेल प्रतियोगिता/आयोजन में भाग लेने के लिए इस अधिनियम के अधीन और समय-समय पर बनाई गई किसी स्कीम या जारी की गई नीति के अधीन किसी अनुदान, पुरस्कार या तो नकद या अन्यथा, नौकरी या किसी अन्य लाभ की हकदारी के लिए पात्र नहीं होगा;
- (ख) ऐसा खेल संघ, सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई अवसंरचना और मानवशक्ति का उपयोग नहीं करेगा।
- (2) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी खेल संघ का पंजीकरण रद्द हो जाता है तो, —
- (क) ऐसे खेल संघ से पंजीकृत कोई भी खिलाड़ी, ऐसे रद्दकरण की तिथि से किसी भी खेल प्रतियोगिता/आयोजन में भाग लेने के लिए इस अधिनियम के अधीन और समय-समय पर बनाई गई किसी स्कीम या जारी की गई नीति के अधीन किसी अनुदान, पुरस्कार या तो नकद या अन्यथा, नौकरी या किसी अन्य लाभ की हकदारी के लिए पात्र नहीं होगा;
- (ख) ऐसा खेल संघ, सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई अवसंरचना और मानवशक्ति का उपयोग नहीं करेगा।
13. इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत राज्य स्तरीय खेल संघ या जिला स्तरीय खेल संघ, जैसी भी स्थिति हो, 'हरियाणा' या जिले का नाम उपसर्ग के रूप में रखने का हकदार होगा और ऐसे खेल संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी स्वयं को 'हरियाणा' या ऐसे जिले के खिलाड़ी कह सकते हैं। पंजीकरण के परिणाम।
14. (1) इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत प्रत्येक जिला स्तरीय खेल संघ को इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत सम्बन्धित राज्य स्तरीय खेल संघ द्वारा आयोजित खेल गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार होगा। भाग लेने का अधिकार।
- (2) इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत प्रत्येक राज्य स्तरीय खेल संघ को राष्ट्रीय निकाय द्वारा यथा विहित ऐसे निबन्धन और शर्तों के अधीन सम्बन्धित राष्ट्रीय निकाय द्वारा आयोजित खेल गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार होगा।

राज्य स्तरीय खेल संघ की बाध्यताएं।

15. (1) इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत प्रत्येक राज्य स्तरीय खेल संघ,—
- (क) प्रत्येक वर्ष वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्ग के लिए कम से कम एक अंतर-जिला राज्य स्तरीय खेल चैम्पियनशिप आयोजित करेगा;
 - (ख) राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने के लिए अपने खिलाड़ियों और टीमों को भेजेगा;
 - (ग) खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे पुरस्कार, छात्रवृत्ति, पदक और अन्य ऐसी सुविधाएं देने की व्यवस्था करेगा;
 - (घ) हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् के साथ खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और कोचिंग सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था करेगा;
 - (ङ) ऐसे अभिलेख बनाए रखेगा, जो विहित किए जाएं;
 - (च) आयोजित किए जाने वाले खेल परीक्षणों और खेल प्रतियोगिताओं/आयोजनों के बारे में तीस दिन पूर्व और उसके बाद तीस दिन के भीतर भाग लेने वाली टीमों के नाम और संख्या, और प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों के नाम, उसके परिणामों सहित ऐसे परीक्षणों और प्रतियोगिताओं/आयोजनों के परिणामों की सूचना हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् को देगा;
 - (छ) अपनी वेबसाइट पर खण्ड (च) के अधीन सूचना अपलोड करेगा;
 - (ज) खिलाड़ियों की शिकायतों के निवारण के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, शिकायत निवारण तन्त्र का गठन करेगा।

(2) यदि हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् की राय है कि राज्य स्तरीय खेल संघ उप-धारा (1) के अधीन किन्हीं बाध्यताओं की अनुपालना करने में विफल हो गया है, तो यह सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, जुर्माना, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, अधिरोपित कर सकती है या कारण लिपिबद्ध करते हुए पंजीकरण रद्द कर सकती है।

जिला स्तरीय खेल संघ की बाध्यताएं।

16. (1) इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत प्रत्येक जिला स्तरीय खेल संघ,—
- (क) प्रत्येक वर्ष वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्ग के लिए कम से कम एक जिला स्तरीय खेल चैम्पियनशिप आयोजित करेगा;
 - (ख) राज्य स्तर पर भाग लेने के लिए अपने खिलाड़ियों और टीमों को भेजेगा;
 - (ग) खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे पुरस्कार, छात्रवृत्ति, पदक और अन्य ऐसी सुविधाएं देने की व्यवस्था करेगा;
 - (घ) खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और कोचिंग सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था करेगा;
 - (ङ) ऐसे अभिलेख बनाए रखेगा, जो विहित किए जाएं;
 - (च) आयोजित किए जाने वाले खेल परीक्षणों और खेल प्रतियोगिताओं/आयोजनों के बारे में तीस दिन पूर्व और उसके बाद तीस दिन के भीतर भाग लेने वाली टीमों के नाम और संख्या, और प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों के नाम, उसके परिणामों सहित ऐसे परीक्षणों और प्रतियोगिताओं/आयोजनों के परिणामों की सूचना क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद् को देगा;
 - (छ) अपनी वेबसाइट पर खण्ड (च) के अधीन सूचना अपलोड करेगा;
 - (ज) खिलाड़ियों की शिकायतों के निवारण के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, शिकायत निवारण तन्त्र का गठन करेगा।

(2) यदि क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद् की राय है कि जिला स्तरीय खेल संघ उप-धारा (1) के अधीन किन्हीं बाध्यताओं की अनुपालना करने में विफल हो गया है, तो यह सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, जुर्माना, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, अधिरोपित कर सकती है या कारण लिपिबद्ध करते हुए पंजीकरण रद्द कर सकती है।

पर्यवेक्षक।

17. (1) हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् एक पर्यवेक्षक प्रतिनियुक्त कर सकती है जो राज्य स्तरीय खेल संघों द्वारा आयोजित किए जाने वाले ऐसे खेल परीक्षणों और प्रतियोगिता/आयोजन के दौरान उपस्थित रहेगा।

(2) क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद् एक पर्यवेक्षक प्रतिनियुक्त कर सकती है जो जिला स्तरीय खेल संघों द्वारा आयोजित किए जाने वाले ऐसे खेल परीक्षणों और प्रतियोगिता/आयोजन के दौरान उपस्थित रहेगा।

(3) राज्य स्तरीय खेल संघ या जिला स्तरीय खेल संघ, जैसी भी स्थिति हो, पर्यवेक्षक को भाग लेने वाली टीमों की संख्या, प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों के नाम, खेल परीक्षण और प्रतियोगिता/आयोजन इत्यादि के परिणाम सहित दैनिक खेल परीक्षण और प्रतियोगिता/आयोजन की विस्तृत सूचना उपलब्ध करवाएगी।

(4) पर्यवेक्षक, हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् या क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, को यथा सम्भव शीघ्र, खेल परीक्षण और प्रतियोगिता/आयोजन के समापन की तिथि से सात दिन के अपश्चात् अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

18. (1) हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् या क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद्, जैसी भी स्थिति हो या तो स्वप्रेरणा से या किसी खेल संघ के विरुद्ध किसी शिकायत पर या सरकार के निर्देशों पर ऐसी शिकायत के बारे में जांच करेगी और पंजीकरण के रद्दकरण या ऐसे खेल संघ के पदाधिकारियों को हटाने के लिए समुचित आदेश पारित करेगी:

पंजीकरण का रद्दकरण।

परन्तु पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि किसी खेल संघ के पंजीकरण के रद्दकरण की दशा में, हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् या क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, तिथि विनिर्दिष्ट करेगी, जिससे ऐसा रद्दकरण प्रभावी होगा।

(2) पूर्वगामी उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् या क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, —

- (क) सम्बन्धित खेल संघ के मामलों को कार्यान्वित करने के लिए एक तदर्थ समिति नियुक्त कर सकती है;
- (ख) ऐसी लेखा-परीक्षा, जो आवश्यक समझे, को कार्यान्वित करने के लिए लेखा-परीक्षक नियुक्त कर सकती है;
- (ग) सम्बन्धित खेल संघ के विरुद्ध अभियोजन प्रारम्भ कर सकती है;
- (घ) ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकती है, जो यह उचित समझे।

19. (1) क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद् द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् के सम्मुख ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के साथ अपील दायर कर सकता है:

अपील।

परन्तु उपरोक्त अवधि के बाद अपील ग्रहण की जा सकती है यदि हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् संतुष्ट है कि अपीलकर्ता के पास विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण है।

(2) हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर सरकार के सम्मुख ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के साथ अपील दायर कर सकता है:

परन्तु उपरोक्त अवधि के बाद अपील ग्रहण की जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट है कि अपीलकर्ता के पास विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण है।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन दायर की गई अपील का निपटान यथा सम्भव शीघ्रता के साथ और अधिमानतः अपील दायर करने की तिथि से नब्बे दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा:

परन्तु जहां ऐसी किसी अपील का निपटान नब्बे दिन की उपरोक्त अवधि के भीतर नहीं किया जा सका, तो उक्त अवधि के भीतर आवेदन या अपील का निपटान नहीं करने हेतु कारण लिपिबद्ध करते हुए साठ दिन की और अवधि के भीतर अपील निर्णीत की जाएगी।

(4) सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

20. (1) कोई भी खेल संघ इस अधिनियम के अधीन अपना पंजीकरण रद्द होने के बाद "हरियाणा" नाम या किसी जिले के नाम का उपयोग नहीं करेगा, या कोई खेल परीक्षण और खेल प्रतियोगिता/आयोजन संचालित नहीं करेगा।

"हरियाणा" और जिले के नाम का प्रतिनिधित्व करने या उपयोग करने का प्रतिषेध।

(2) कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, या तो व्यक्तिक रूप में या सामूहिक रूप में, पंजीकृत राज्य स्तरीय खेल संघ या जिला स्तरीय खेल संघ, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा अधिकृत किए बिना, किसी भी खेल परीक्षण और खेल प्रतियोगिता/आयोजन में राज्य या किसी जिले का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा या प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुमत नहीं होगा।

- (3) कोई भी खेल संघ अपने नाम के भाग के रूप में "हरियाणा" या किसी जिले के नाम के विवरण का उपयोग करने या किसी भी खेल परीक्षण और खेल प्रतियोगिता/आयोजन का संचालन करने का हकदार नहीं होगा, जो भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु तात्पर्यित किसी राष्ट्रीय संघ की इकाई, बोर्ड या संघ की सम्बद्धता के रूप में राज्य या जिले का प्रतिनिधित्व करने के परिणामस्वरूप हो, या किसी अन्य रीति में, चाहे जो भी हो, जब तक ऐसा खेल संघ राज्य स्तरीय खेल संघ या जिला स्तरीय खेल संघ, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाता।
- 21.** (1) जो कोई भी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो उसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
- (2) यदि उपधारा (1) के अधीन उल्लंघना किसी खेल संघ द्वारा की जाती है, तो ऐसे खेल संघ के सभी पदाधिकारी उक्त अपराध के लिए संयुक्त रूप से तथा पृथक् रूप से दायी होंगे।
- 22.** कोई भी न्यायालय, सम्बन्धित रजिस्ट्रार या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा लिखित में की गई शिकायत के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।
- 23.** (1) हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् और क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद् उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगी और ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित की जाए, में लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करेगी।
- (2) प्रत्येक खेल संघ, निम्नलिखित के संबंध में लेखों की उचित बही अर्थात् रोकड़ बही, खाताबही इत्यादि रखेगा,—
- (i) प्राप्त और खर्च की गई सभी धनराशियाँ; और
- (ii) आस्तियाँ और देनदारियाँ।
- (3) रजिस्ट्रार या उस द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी लेखा बहियों की जाँच कर सकता है।
- (4) प्रत्येक खेल संघ ऐसे लेखा-परीक्षक से अपने वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा करवाएगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम 38) के अधीन गठित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था का सदस्य हो:
- परन्तु लेखा-परीक्षक कार्यकारी निकाय का सदस्य या किसी पदाधिकारी का पारिवारिक सदस्य नहीं होगा।
- 24.** इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।
- 25.** इस अधिनियम के उपबंध तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में।
- 26.** किसी भी सिविल न्यायालय में, किसी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले, जो सरकार, हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् और क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद् द्वारा इस अधिनियम द्वारा या के अधीन अवधारित किया जाना अपेक्षित है, के सम्बन्ध में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।
- 27.** सरकार, समय-समय पर, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् या क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद् को लिखित में ऐसे निर्देश दे सकती है, जो आवश्यक हों।
- 28.** इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्याधीन, हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् और क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद् सरकार के अनुमोदन से इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बनाएगी।
- 29.** (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथा सम्भव शीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

30. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्वसंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों: परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के बाद, इस धारा के अधीन कोई भी आदेश नहीं किया जाएगा।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

रितु गर्ग,
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।